कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी.–9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 48/2026

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 03.02.2026

डॉ0 अनिल कुमार, पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 03.02.2026 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्न कार्यवाहियां की गयी।

प्रेस–विज्ञप्ति

थाना – बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़

अपहरण के अभियोग में वांछित एक अभियुक्त गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण—

दिनांक **17.12.2025** को एक आवेदिका निवासी **बिन्दवल**, थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना बिलरियागंज पर प्रार्थना पत्र दिया गया कि दिनांक **15.12.2025** की रात्रि लगभग **20:00 बजे**, उनकी **नाबालिग पुत्री (उम्र लगभग 14 वर्ष)** शौच के बहाने घर से निकली थी, जिसे अभियुक्त **गोलू राजभर पुत्र सगीराम निवासी ग्राम बछुवापार, थाना कप्तानगंज** द्वारा बहला-फुसलाकर भगा ले जाया गया।

प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना बिलरियागंज पर **मु0अ0सं0 409/25 अन्तर्गत धारा 87/137(2) बीएनएस** पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गई।

गिरफ्तारी का विवरण—

दिनांक **03.02.2026** को उ0नि0 **अक्षयदीप सिंह** मय हमराह का0 **दीपक कुमार** व **छट्ठू साहनी** जैगहा बाजार क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग में मामूर थे। इसी दौरान सूचना प्राप्त हुई कि वांछित अभियुक्त **गोलू राजभर** खानकाह होते हुए बिन्दवल की ओर जा रहा है। सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त को **ग्राम बिन्दवल के पास** घेराबंदी कर **समय 11:20 बजे गिरफ्तार** किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त को उपरोक्त मुकदमे में वांछित होने की जानकारी देकर नियमानुसार हिरासत में लिया गया।

पंजीकृत अभियोग—

मु0अ0सं0 **409/25**, धारा **87/137(2) बीएनएस**, थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता—

1. **गोलू राजभर उर्फ राजन**, पुत्र सगीराम, निवासी ग्राम बछुवापार, थाना कप्तानगंज, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम—

1. **सुनील कुमार दुबे**, थानाध्यक्ष बिलरियागंज
2. **उ0नि0 अक्षयदीप सिंह**, थाना बिलरियागंज
3. **का0 दीपक कुमार**, थाना बिलरियागंज
4. **का0 छट्ठू साहनी**, थाना बिलरियागंज **जनपद पुलिस, आजमगढ़**

प्रेस–विज्ञप्ति, दिनांक :03.02.2026

थाना – कन्धरापुर, जनपद आजमगढ़

दुष्कर्म के अभियोग में वांछित 02 अभियुक्त/अभियुक्ता गिरफ्तार

पूर्व की घटना का विवरण—

दिनांक **05.05.2025** को एक आवेदिका निवासी ग्राम मिरिया, पोस्ट व थाना कन्धरापुर, जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर उपस्थित होकर सूचना दी गई कि उनकी **नाबालिग पुत्री (उम्र लगभग 15 वर्ष)** को अभियुक्त **रोहित कुमार** द्वारा बहला-फुसलाकर भगा ले जाया गया है तथा पीड़िता को भगाने में **रीना देवी पत्नी पप्पू उर्फ अरविन्द** की संलिप्तता है।

उक्त सूचना के आधार पर थाना कन्धरापुर पर **मु0अ0सं0 123/2025** धारा **137(2)/87 बीएनएस** के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

उक्त अभियोग से सम्बन्धित पीड़िता की **बरामदगी दिनांक 31.01.2026** को की गई। पीड़िता का बयान **धारा 180 बीएनएसएस एवं 183 बीएनएसएस** के अन्तर्गत अंकित कराया गया तथा चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। पीड़िता के बयान एवं मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर अभियोग में **धारा 65(1) बीएनएस तथा 3/4(2) पाक्सो एक्ट** की बढ़ोत्तरी की गई।

गिरफ्तारी का विवरण—

दिनांक **03.02.2026** को उ0नि0 **नरेन्द्र विक्रम सिंह** मय हमराह पुलिस बल के वांछित अभियुक्तों की तलाश में क्षेत्र में मामूर थे। इसी दौरान **मुखबिर खास** से प्राप्त सूचना के आधार पर अभियुक्त—

1. **रोहित कुमार पुत्र शिवमूरत राम**, निवासी ग्राम जमुआ हरीराम, थाना कन्धरापुर, हाल मुकाम ग्राम हिच्छनपट्टी, थाना कन्धरापुर, जनपद आजमगढ़ (उम्र लगभग 22 वर्ष),
2. **रीना देवी पत्नी पप्पू उर्फ अरविन्द**, निवासी ग्राम मिरिया, थाना कन्धरापुर, जनपद आजमगढ़ (उम्र लगभग 35 वर्ष),

को **दिनांक 03.02.2026 समय 13:45 बजे, मिरिया तिराहे से सेहदा की ओर जाने वाले मार्ग के किनारे से गिरफ्तार** किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध नियमानुसार **अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित** है।

पंजीकृत अभियोग—

मु0अ0सं0 **123/2025**, धारा **65(1)/137(2)/87/61(2) बीएनएस** व **3/4(2) पाक्सो एक्ट**, थाना कन्धरापुर, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम—

1. **उ0नि0 नरेन्द्र विक्रम सिंह**, थाना कन्धरापुर
2. **का0 आकाश गौड़**, थाना कन्धरापुर
3. **म0आ0 रागिनी पाठक**, थाना कन्धरापुर **जनपद पुलिस, आजमगढ़**

प्रेस नोट

थाना – अतरौलिया, जनपद आजमगढ़

साइबर फ्राड के ₹22,300/- पीड़ित के खाते में वापस कराए गए

पूर्व की घटना—

दिनांक **20.11.2025** को एक आवेदक निवासी ग्राम बिलारी, थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर प्रार्थना पत्र दिया गया कि उनके मोबाइल पर बैंक के नाम से **पिन रिसेट** करने हेतु संदेश प्राप्त हुआ। उक्त संदेश के आधार पर पिन रिसेट के नाम पर अज्ञात साइबर अपराधियों द्वारा आवेदक से **कुल ₹22,300/-** की धनराशि का साइबर फ्राड कर लिया गया।

इस सम्बन्ध में आवेदक द्वारा **साइबर शिकायत संख्या 23111250xxxxxxx** दर्ज कराई गई, जिस पर थाना अतरौलिया में विधिक कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

कार्यवाही का विवरण—

उक्त शिकायत पर **साइबर हेल्पडेस्क टीम, थाना अतरौलिया** द्वारा त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही करते हुए **माननीय न्यायालय से प्राप्त फंड रिलीज आदेश** के क्रम में संबंधित बैंक के नोडल अधिकारी से समन्वय स्थापित किया गया, जिसके फलस्वरूप आवेदक के खाते में **पूरी ₹22,300/- धनराशि सफलतापूर्वक वापस करा दी गई।**

उक्त धनराशि की वापसी **प्रभारी उपनिरीक्षक अभिषेक यादव** एवं **कम्प्यूटर ऑपरेटर आशीष कुमार**, थाना अतरौलिया द्वारा की गई प्रभावी जांच एवं समन्वय का परिणाम है।

पुलिस टीम—

1. **प्रभारी साइबर हेल्पडेस्क उ0नि0 अभिषेक यादव**, थाना अतरौलिया
2. **कम्प्यूटर ऑपरेटर ग्रेड–ए आशीष कुमार**, थाना अतरौलिया
3. **का0 कौशिक वर्मा**, थाना अतरौलिया

जनपद पुलिस आमजन से अपील करती है कि किसी भी संदिग्ध कॉल, मैसेज या लिंक पर अपनी बैंकिंग जानकारी साझा न करें तथा साइबर अपराध की स्थिति में तत्काल **हेल्पलाइन 1930** या **cybercrime.gov.in** पर शिकायत दर्ज कराएं।

— जनपद पुलिस, आजमगढ़

प्रेस–विज्ञप्ति

थाना – बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़

गैंगेस्टर एक्ट के अन्तर्गत एक नफर वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

संक्षिप्त विवरण—

दिनांक **02.02.2026** को थानाध्यक्ष बिलरियागंज द्वारा थाना अभिलेखों के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि **राहिल खान पुत्र शमशाद खान**, निवासी इस्लामपुरा, थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़ (उम्र लगभग 23 वर्ष) अपने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर एक **संगठित आपराधिक गिरोह** संचालित कर रहा है, जो जनपद स्तर पर सक्रिय है।

दिनांक **16.01.2025** को ग्राम **छिछोरी एवं बगवार** के मध्य अभियुक्त राहिल खान द्वारा **गौवंशीय पशु का वध कर प्रतिबंधित मांस विक्रय हेतु ले जाते हुए** पकड़े जाने पर उसके कब्जे से **05 किलो 500 ग्राम प्रतिबंधित मांस तथा प्रतिबंधित मांस काटने के उपकरण** बरामद किए गए थे। इस सम्बन्ध में थाना बिलरियागंज पर **मु0अ0सं0 16/2025** धारा **3/5A/8 गोवध निवारण अधिनियम एवं 4/25 आर्म्स एक्ट** पंजीकृत किया गया था, जिसमें विवेचना पूर्ण कर चालान माननीय न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है।

उक्त गिरोह द्वारा आर्थिक एवं भौतिक लाभ के उद्देश्य से ऐसे कृत्य किए जा रहे थे, जिससे **लोक व्यवस्था प्रभावित** हो रही थी तथा सामान्य जनजीवन में भय एवं दहशत का माहौल व्याप्त था। गिरोह की गतिविधियां **उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम–1986** की धारा **3** के अन्तर्गत दण्डनीय पाई गईं। इसके क्रम में **गैंग चार्ट तैयार कर अभियोग पंजीकृत** किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण—
दिनांक **03.02.2026** को थानाध्यक्ष **सुनील कुमार दुबे** मय हमराह पुलिस बल के साथ क्षेत्र में शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत चेकिंग में मामूर थे। इसी दौरान **मुखबिर खास** से सूचना प्राप्त हुई कि गैंगेस्टर एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त **राहिल खान** अपने घर इस्लामपुरा में मौजूद है।

सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त को **इस्लामपुरा, कस्बा बिलरियागंज स्थित उसके घर के पास से घेराबंदी कर समय करीब 05:50 बजे गिरफ्तार** किया गया। अभियुक्त को **मु0अ0सं0 32/2026**, धारा **3(1)/2(ख) उपधारा (17) उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम–1986** में विधिवत हिरासत में लिया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पंजीकृत अभियोग—
मु0अ0सं0 **32/2026**, धारा **3(1)/2(ख) उपधारा (17)**, उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम–1986, थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास
मु0अ0सं0 **16/2025**, धारा **3/5A/8 गोवध निवारण अधिनियम एवं 4/25 आर्म्स एक्ट**, थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता—

1. **राहिल खान पुत्र शमशाद खान**, निवासी इस्लामपुरा, थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम—

1. **सुनील कुमार दुबे**, थानाध्यक्ष बिलरियागंज
2. **हे0का0 गांधी यादव**, थाना बिलरियागंज
3. **का0 संजय सिंह**, थाना बिलरियागंज
4. **म0आ0 रंजू यादव**, थाना बिलरियागंज **जनपद पुलिस, आजमगढ़**

प्रेस नोट

थाना – दीदारगंज, जनपद आजमगढ़

भूमि की दुबारा रजिस्ट्री कर धोखाधड़ी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार।

पूर्व का विवरण—
दिनांक **11.02.2025** को वादी **मो0 शकील पुत्र मो0 अकील**, निवासी समसपुर, थाना दीदारगंज, जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर एक लिखित प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया कि प्रतिवादियों द्वारा भूमि की **दुबारा रजिस्ट्री कर धोखाधड़ी** की गई है।
उक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना दीदारगंज पर **मु0अ0सं0 29/2025**, धारा **419/420/467 भादवि** बनाम—

1. **मो0 मुस्लिम पुत्र सज्जाद हुसैन**, हाल मुकाम 443/346 बर्फखाना, मिश्री का बाग, ठाकुरगंज, लखनऊ
2. **बिलकिस जहाँ पत्नी स्व0 मो0 शाहिद**, निवासी समसपुर, थाना दीदारगंज
3. **दिनेश कुमार पुत्र मोहन**, निवासी ग्राम डीह कैथोली, थाना दीदारगंज
4. **ओमप्रकाश यादव पुत्र बनारसी यादव**, निवासी ग्राम बीबीगंज, थाना दीदारगंज

पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त **मो0 मुस्लिम पुत्र सज्जाद हुसैन** वांछित चल रहा था।

गिरफ्तारी का विवरण—
दिनांक **03.02.2026** को उ0नि0 **रामबहादुर यादव** मय हमराह का0 **रविशंकर उपाध्याय** थाना हाजा से प्रस्थान कर क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग के दौरान **पल्थी बाजार** में मौजूद थे। इसी दौरान **मुखबिर खास** से सूचना प्राप्त हुई कि मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त **सैय्यद मोहम्मद मुस्लिम** हुब्बीगंज बाजार में कहीं जाने के लिए वाहन का इंतजार कर रहा है।

सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम द्वारा **हुब्बीगंज बाजार** में घेराबंदी कर अभियुक्त को **समय करीब 07:50 बजे गिरफ्तार** किया गया। नाम-पता पूछने पर उसने अपना नाम **सैय्यद मोहम्मद मुस्लिम पुत्र सैय्यद सज्जाद हुसैन**, निवासी ग्राम समसपुर, थाना दीदारगंज, जनपद आजमगढ़, हाल पता 443/346 बर्फखाना, मिश्री का बाग, ठाकुरगंज, लखनऊ, उम्र करीब **44 वर्ष** बताया।

अभियुक्त को उसके द्वारा किए गए अपराध से अवगत कराते हुए नियमानुसार हिरासत में लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता—
सैय्यद मोहम्मद मुस्लिम पुत्र सैय्यद सज्जाद हुसैन, निवासी ग्राम समसपुर, थाना दीदारगंज, जनपद आजमगढ़, हाल पता 443/346 बर्फखाना, मिश्री का बाग, ठाकुरगंज, लखनऊ, उम्र करीब 44 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग—

क्र0सं0	**मु0अ0सं0**	**धारा**	**थाना**	**जनपद**
1.	29/2025	419/420/467 भादवि	दीदारगंज	आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम—

1. **उ0नि0 रामबहादुर यादव**, थाना दीदारगंज
2. **का0 रविशंकर उपाध्याय**, थाना दीदारगंज **जनपद पुलिस, आजमगढ़**

प्रेस–नोट

थाना – बरदह, जनपद आजमगढ़

सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने एवं बस चालक/परिचालक पर जानलेवा हमला करने वाले अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास—
दिनांक **02.02.2026** को वादी मुकदमा **दीपक दीक्षित पुत्र अशोक कुमार दीक्षित**, निवासी ग्राम एवं पोस्ट बेहटा गोकुल, जिला हरदोई द्वारा थाना बरदह पर सूचना दी गई कि दिनांक **01.02.2026** को वह बस संख्या **UP78 KN xxxx** पर परिचालक के रूप में प्रयागराज से गोरखपुर जा रहे थे। इसी दौरान **भीरा, बरदह क्षेत्र** में कुछ व्यक्तियों द्वारा बस को रुकवाकर चालक से गाली-गलौज की गई तथा बस का शीशा तोड़ दिया गया। इसके पश्चात चालक को बस से उतारकर मारपीट की गई।
जब वादी बीच-बचाव हेतु नीचे उतरे तो उनके साथ भी मारपीट की गई तथा उनके बैग से लगभग **₹10,000/- नकद** एवं **मार्ग पत्र संख्या 319xxxx** छीन लिया गया। अभियुक्तों द्वारा लोहे की रॉड से जानलेवा हमला किया गया, जिससे वादी को अपनी जान बचाकर छिपना पड़ा।
उक्त सूचना के आधार पर थाना बरदह पर **मु0अ0सं0 36/2026**, धारा **115(2), 352, 324(4), 132, 109(1) बीएनएस** बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

विवेचना के दौरान—
विवेचना में धारा **309(4) बीएनएस** का अपराध पाया जाना प्रमाणित नहीं हुआ, जबकि अभियुक्तों द्वारा बस चालक एवं

परिचालक पर **प्राणघातक/जानलेवा हमला** किया जाना प्रमाणित पाए जाने पर धारा **109(1) बीएनएस** की पुष्टि हुई। तत्पश्चात अभियोग में आवश्यक विधिक संशोधन किया गया।

विवेचना के दौरान अभियुक्तगण—

1. **विनय कुमार सरोज पुत्र जमुना प्रसाद सरोज**, निवासी ग्राम परसौली, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़
2. **इन्द्रसेन राजभर पुत्र धर्मराज राजभर**, निवासी ग्राम रफीपुर, पोस्ट पारा, थाना शाहगंज, जिला जौनपुर

के नाम प्रकाश में आए।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण—

दिनांक **03.02.2026** को उ0नि0 **राजेन्द्र प्रसाद पटेल** मय हमराह पुलिस बल द्वारा **मुखबिर की सूचना** पर अभियुक्तगण उपरोक्त को **जौतीपुर मोड़** से **समय 05:30 बजे गिरफ्तार** किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण—

1. विनय कुमार सरोज पुत्र जमुना प्रसाद सरोज, निवासी ग्राम परसौली, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़
2. इन्द्रसेन राजभर पुत्र धर्मराज राजभर, निवासी ग्राम रफीपुर, पोस्ट पारा, थाना शाहगंज, जिला जौनपुर

बरामदगी का विवरण—

➡ घटना में प्रयुक्त **एक अदद लोहे की रॉड**, अभियुक्त इन्द्रसेन राजभर की निशानदेही पर बरामद।

आपराधिक इतिहास—

1. विनय कुमार सरोज – मु0अ0सं0 36/2026, धारा 115(2), 352, 324(4), 132, 109(1) बीएनएस
2. इन्द्रसेन राजभर – मु0अ0सं0 36/2026, धारा 115(2), 352, 324(4), 132, 109(1) बीएनएस

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम—

1. **उ0नि0 राजेन्द्र प्रसाद पटेल**, थाना बरदह
2. **हे0का0 दिनेश कुमार यादव**, थाना बरदह
3. **का0 पंकज यादव**, थाना बरदह **जनपद पुलिस, आजमगढ़**

प्रेस–विज्ञप्ति

थाना– मेंहनगर, जनपद आजमगढ़

किशोरी को बहला-फुसलाकर अपहरण करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास (संक्षेप में):

दिनांक 28.01.2026 को थाना मेंहनगर पर प्राप्त तहरीरी सूचना के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया था कि दिनांक 27.01.2026 को दोपहर लगभग 01:00 बजे एक नाबालिग बालिका को गांव का ही एक युवक बहला-फुसलाकर भगा ले गया। परिजन द्वारा संभावित स्थानों पर खोजबीन की गई, परंतु बालिका व अभियुक्त का कोई पता नहीं चल सका।

प्रकरण में थाना मेंहनगर पर मु0अ0सं0 37/2026 धारा 87, 137(2) बीएनएस पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ की गई।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण:

दिनांक 03.02.2026 को उ0नि0 इन्द्रजीत पटेल मय हमराह के साथ रवाना गश्त पर थे। मुखबिर खास की सूचना पर वांछित अभियुक्त को उटनी मोड़ गोपालपुर से समय 13:55 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:

गोलू यादव पुत्र श्यामसुधार यादव निवासी– ग्राम रानीपुर, थाना मेंहनगर, जनपद आजमगढ़

पंजीकृत अभियोग:

मु0अ0सं0 37/2026 धारा 87, 137(2) बीएनएस थाना– मेंहनगर, जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम:

1. उ0नि0 इन्द्रजीत पटेल
2. का0 अभिषेक यादव
3. म0का0 दीक्षा मिश्रा थाना– मेंहनगर, जनपद आजमगढ़

प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक- 03.02.2026 जनपद आजमगढ़

*** "ऑपरेशन कनविक्शन / मिशन शक्ति" अभियान के तहत प्रभावी पैरवी से अभियुक्त को 04 वर्ष की कठोर सजा***

"ऑपरेशन कनविक्शन/मिशन शक्ति" अभियान के अंतर्गत जनपदीय पुलिस द्वारा की गई गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल एवं अभियोजन की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने व छेड़छाड़ के एक मामले में 01 अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध कर दण्डित किया गया।

थाना निजामाबाद पर पंजीकृत उक्त अभियोग में मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 04 वर्ष के कठोर कारावास एवं 5,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

➡ दिनांक 12.11.2021 को थाना निजामाबाद पर प्राप्त तहरीर के आधार पर नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने व छेड़छाड़ से संबंधित अभियोग पंजीकृत किया गया था।

➡ उक्त प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0-224/2021 धारा 363, 366, 376, 354 भादवि एवं 3/4 पाक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया।

➡ विवेचना पूर्ण कर अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया।

➡ मुकदमे के दौरान कुल 07 गवाहों का परीक्षण कराया गया।

➡ प्रभावी साक्ष्य एवं अभियोजन की सशक्त पैरवी के आधार पर दिनांक 03.02.2026 को मा0 विशेष पाक्सो न्यायालय, आजमगढ़ द्वारा *अभियुक्त **अरमान पुत्र सोहराब निवासी सिपाह कस्बा निजामाबाद थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़** को दोषसिद्ध पाते हुए 04 वर्ष के कठोर कारावास एवं 5,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित* किया गया।

जनपदीय पुलिस महिला एवं बाल अपराधों के प्रति संवेदनशील रहते हुए ऐसे मामलों में कठोर एवं प्रभावी कार्यवाही हेतु निरंतर प्रतिबद्ध है।

प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक- 03.02.2026 जनपद आजमगढ़

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत चोरी के मामले में 02 अभियुक्तों को सजा

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के अंतर्गत जनपदीय पुलिस द्वारा की गई गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल एवं अभियोजन की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप थाना देवगांव में पंजीकृत चोरी के एक प्रकरण में 02 अभियुक्तों को मा0 न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए दण्डित किया गया।

थाना देवगांव पर पंजीकृत उक्त अभियोग में चोरी के आरोप में 02 अभियुक्तों को प्रत्येक को 01 माह 05 दिवस के कारावास एवं 3-3 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

➡ दिनांक 08.02.2008 को वादी मुकदमा **जमीन अहमद पुत्र इस्लाम अहमद निवासी बहादुरपुर, थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़** द्वारा थाना देवगांव पर लिखित तहरीर दी गई कि अभियुक्तगण

1. रामेश उर्फ गोलू राय पुत्र सिंहासन राय

2. ताड़कनाथ पुत्र घनश्याम राय,

निवासीगण बहादुरपुर, थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़ द्वारा वादी के ट्रैक्टर की बैट्री चोरी कर ली गई।

➡ उक्त तहरीर के आधार पर थाना देवगांव पर मु0अ0सं0-169/2008 धारा 379, 411 भादवि पंजीकृत किया गया।

➡ विवेचना उपरान्त अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।

➡ अभियुक्तों द्वारा जुर्म स्वीकृति के आधार पर मुकदमे की कार्यवाही संपन्न की गई।

➡ जिसके क्रम में दिनांक 03.02.2026 को मा0 न्यायालय ए0सी0जे0एम0-10 कोर्ट, आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित *अभियुक्तगण **रामेश उर्फ गोलू राय पुत्र सिंहासन राय** एवं **ताड़कनाथ पुत्र घनश्याम राय**, निवासी बहादुरपुर, थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए प्रत्येक को 01 माह 05 दिवस के कारावास एवं 3-3 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित* किया गया।

जनपदीय पुलिस अपराध नियंत्रण एवं दोषियों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी विवेचना एवं सशक्त अभियोजन के माध्यम से निरंतर कार्यरत है।